

निविदा प्रपत्र शुल्क रू0 590.00

उत्तराखण्ड सहकारी डेरी फ़ैडरेशन लि0, मंगल पड़ाव, हल्द्वानी-263139

दुग्ध परिवहन कार्यो (लालढांग एवं गैंडीखाता क्षेत्र) हेतु छोटा हाथी/पिकअप वाहनो हेतु निविदा

नि0सू0संख्या: 24(1-4)/यू0सी0डी0एफ0/दुग्ध परिवहन वाहन/2024-25, दिनांक 27.12.2024



नोट- कृपया तकनीकी निविदा व वित्तीय निविदा अलग-अलग लिफाफे में रखकर दोनों को एक सीलबन्द लिफाफे में रजिस्टर्ड डाक/कोरियर से किसी भी कार्य दिवस में दिनांक 13.01.2025 को सायं 5:00 बजे तक जमा करें।



उत्तराखण्ड सहकारी डेरी फ़ैडरेशन लि०, मंगल पड़ाव, हल्द्वानी-263139
दुग्ध परिवहन कार्यों हेतु छोटा हाथी/समकक्ष किराया वाहनों हेतु निविदा

नि०सू०संख्या: 24(1-4)/यू०सी०डी०एफ०/दुग्ध परिवहन वाहन/2024-25, दिनांक: 27.12.2024

डेरी फ़ैडरेशन, हल्द्वानी के अन्तर्गत संचालित एफपीओ गैंडीखत्ता, हरिद्वार तथा जसपुर, उधमसिंहनगर क्षेत्र में दुग्ध उपार्जन कार्य हेतु छोटा हाथी/समकक्ष वाहनों हेतु इच्छुक निविदादाताओं से बन्द लिफाफे में टू-बिड निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं। निविदा प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड सहकारी डेरी फ़ैडरेशन लि०, मंगल पड़ाव, हल्द्वानी के नाम से दिनांक 13.01.2025 तक सायं 5:00 बजे तक जमा की जायेंगी एवं दिनांक 14.01.2025 को प्रातः 11:00 बजे निविदादाताओं के सम्मुख खोली जाएगी। निविदा फार्म एवं निविदा की शर्तें इस कार्यालय से प्राप्त की जा सकती हैं अथवा वेबसाइट www.ucdfaanchal.org से डाउनलोड किया जा सकता है।

प्रबन्ध निदेशक

प्रशासक



निविदा फार्म— उपार्जन अनुभाग (तकनीकी बिड)—01



फार्म संख्या— निविदा प्रपत्र मूल्य— 590 रु०(पाँच सौ नब्बे) (समस्त कर सहित)

उत्तराखण्ड सहकारी डेरी फ़ैडरेशन लि०, मंगल पड़ाव, हल्द्वानी, नैनीताल

(निविदा फार्म के समस्त क्रमांको की सूचनाओं को स्पष्ट व साफ—साफ अंकित करें।)

- 1— मार्ग का नाम — :
- 2— निविदादाता का नाम — :
- 3— पिता/पति का नाम —:
- 4— स्थाई पता (अनिवार्य)— :
- 5— पत्र व्यवहार का पता (अनिवार्य)—.....
- 6— दूरभाष संख्या (अनिवार्य).....
- 7— पैन कार्ड संख्या (निविदा शर्त संख्या 04 के अनुरूप) (संलग्न)
- 8— आधार कार्ड संख्या (संलग्न).....
- 9— जमा अर्नेस्ट मनी विवरण — बैंक का नाम
- डाफ्ट संख्या धनराशि दिनांक
- नगद जमा धनराशि रसीद संख्या दिनांक
- 10— वाहन से सम्बन्धित निम्न सूचनायें अंकित करें (निविदा शर्त संख्या 08 के अनुरूप)
 - क— वाहन का प्रकार माडल वर्ष.....भार क्षमता
 - ख— पंजीकरण संख्यापंजीकरण तिथि.....
 - ग— वाहन स्वामी का नामबीमा की वैधता (संलग्न).....
 - घ— वाहन परमिट की वैधता तिथि(संलग्न).....फिटनेस(संलग्न).....
- 11— निविदादाता द्वारा निम्न प्रपत्रों की स्वयं प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें (अनिवार्य)
 - क—वाहन का रजिस्ट्रेशन नम्बर.....
 - ख— निविदा का स्थायी पता (आधार नम्बर/मतदाता पहचान पत्र) (संलग्न).....
 - ग—निविदा मूल्य की जमा रसीद/बैंक ड्राफ्ट की मूल प्रति.....
 - घ—धरोहर/अर्नेस्ट मनी जमा करने सम्बन्धी संस्था की रसीद की मूलप्रति/बैंक ड्राफ्ट की मूल प्रति



दिनांक.....

ह० निविदादाता

पूरा नाम

पता:—

निविदा की शर्तें एवं आवश्यक निर्देश

- 01--: एक निविदा प्रपत्र केवल एक मार्ग की निविदा हेतु मान्य होगा।
- 02--: निविदायें, **प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड को-ऑरेटिव डेरी फ़ैडरेशन लि0**, के नाम से दिनांक **13.01.2025** को सायं **05:00** बजे तक **उत्तराखण्ड को-ऑरेटिव डेरी फ़ैडरेशन** के पते पर ही स्वीकार की जायेगी। रजिस्टर्ड डाक/कोरियर के माध्यम से उपरोक्त सम्बन्धित समस्त मार्गों की निविदायें डाक वितरण में विलम्ब से प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा और न ही कोई दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा। दिनांक **14.01.2025** को प्रातः 11:00 निविदा कमेटी के सम्मुख खोली जाएंगी।
- 03--: लिफाफे के बाहर स्पष्ट शब्दों में **उर्पाजन कार्य हेतु निविदा एवं मार्ग** का नाम तथा निविदादाता का नाम व पता स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिये। निविदा की शर्तें एवं आवश्यक निर्देश के अन्त में स्थायी पता अंकन करना अनिवार्य होगा।
- 04--: निविदा फार्म में निविदादाता को स्वप्रमाणित रंगीन पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ लगाना होगा तथा एक फोटोयुक्त पहचान पत्र (डी0एल0/आधार कार्ड आदि) निविदा फार्म के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। निविदा स्वीकार होने पर निविदादाता को पैन कार्ड की छायाप्रति एक माह के अन्दर उपलब्ध करानी होगी अन्यथा नियमानुसार टैक्स की कटौती बिलों से कर ली जायेगी।
- 05--: वाहन का मॉडल **2015** से कम नहीं होना चाहिये।
- 06--: निविदा में पावर आफ एर्टोनी एवं वाहन से संबंधित कम्पनियों का कोटेशन मान्य नहीं होगी।
- 07--: समान दरें प्राप्त होने पर नये मॉडल के वाहन को वरीयता दी जायेगी।
- 08--: निविदा फार्म के साथ वाहन की आर0सी0, परमिट एवं समस्त सही (वैध) प्रपत्र साथ लगाया जाना अनिवार्य होगा। निविदा स्वीकृत होने के एक सप्ताह के भीतर समस्त वैध प्रपत्रों की स्वप्रमाणित छाया प्रति निविदा कमेटी के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, तदुपरान्त ही कार्यदेश निर्गत किया जायेगा।
- 09--: वाहन निविदादाता के नाम पर पंजीकृत होना चाहिये। अन्य किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र/शपथ पत्र/विक्रय पत्र/कोटेशन आदि मान्य नहीं होंगे।
- 10--: **उत्तराखण्ड राज्य से बाहर पंजीकृत वाहनो** को निविदा में भाग लेने पर निविदा के साथ उत्तराखण्ड राज्य में जमा टैक्स आदि के वैध प्रपत्र निविदा के साथ संलग्न करने होंगे।
- 11--: संस्था में जमा अर्नेस्ट मनी की रसीद की मूल प्रति/छाया प्रति अथवा बैंक ड्राफ्ट जो इस संस्था के नाम से देय हो मूल रूप में संलग्न करना होगा अन्यथा निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
- 12--: उपरोक्त दोंनो वाहनो हेतु मु0 5000 (पाँच हजार रू0 मात्र) अर्नेस्ट मनी नगद/ड्राफ्ट से जमा करानी होगी। रसीद की छाया प्रति या बैंक ड्राफ्ट मूल रूप से संलग्न करना होगा। चैक मान्य नहीं होगा, पूर्व में जमा अर्नेस्ट मनी इस निविदा में मान्य नहीं होगी।
- 13--: यू0सी0डी0एफ0 की वैबसाईड www.ucdfaachal.org से निविदा डाउनलोड किये जाने पर, निविदा फार्म शुल्क के रूप में रू0 **590.00** की रसीद/ड्राफ्ट निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- 14--: निविदादाता द्वारा निविदा प्रपत्र में दिये गये वाहन की निविदा स्वीकार हो जाने के पश्चात किसी भी दशा में उसके प्रतिनिधि को निविदा हस्तांतरित नहीं की जा सकेगी।
- 15--: निविदाओं का निस्तारण उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 के अधीन होगा।
- 16--: संस्था के दुग्ध मार्गों में समितियों बढाई/घटाई जा सकती है। आवश्यकता नहीं होने पर बिना कारण बताये एक मॉह के नोटिस पर वाहन हटाया जा सकता है।
- 17--: डीजल का भुगतान साधारण डीजल की दर से संलग्न विवरण के अनुसार देय होगा।
- 18--: निविदा प्रपत्र में संशोधन होने की स्थिति में संशोधित निविदा सूचना संस्था वैबसाईट पर ही उपलब्ध करायी जाएगी।
- 19--: जमानत धनराशि निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त वाहनो के लिये रू0 **10000.00** (दस हजार) जमानत धनराशि संस्था कोषागार में नगद अथवा बैंक ड्राफ्ट जो **उत्तराखण्ड को-ऑरेटिव डेरी फ़ैडरेशन लि0**, के नाम से हो जमा करना होगा।

- 20-** निविदा स्वीकार होने पर निविदादाता को संस्था के साथ अनुबन्ध करना होगा। अनुबन्ध की शर्तें किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय में देखी जा सकती हैं, अनुबन्ध करने हेतु मु0 100.00 रू0 का नान जुडिशियल स्टाम्प पेपर प्रस्तुत करना होगा।
- 21-** शासन द्वारा संचालित जिला योजना एवं राज्य योजना के अन्तर्गत साईलेज/पशुआहार चारा परिवहन अनुदान एवं भूसा ब्लॉक समितियों की माँग के अनुसार परिवहनकर्ता के द्वारा उपलब्ध करना होगा, जिसका परिवहन का ढुलान शासन द्वारा निर्धारित दरों पर संस्था द्वारा देय होगा, जिसका समायोजन शासन से प्राप्त होने वाली धनराशि में किया जायेगा।
- 22-** अनुबन्ध की अवधि एक वर्ष हेतु होगी। आवश्यकता पडने पर अनुबन्ध समाप्ति के पश्चात 03-03 मॉह हेतु दो बार (अधिकतम 06 मॉह हेतु) उन्ही दरो एवं शर्तों पर अवधि बढ़ाये जाने पर निविदादाता को दुग्ध ढुलान करने की बाध्यता होगी तथा बढ़ाई गयी अवधि मे भी अनुबन्ध की समस्त शर्तें निविदादाता को मान्य होगी।
- 23-** प्रत्येक मार्ग के लिये अलग-अलग निविदा प्रपत्र भरकर देना होगा। एक वाहन से केवल एक ही मार्ग की निविदा मान्य होगी। दो अथवा अधिक मार्गों के लिये एक ही वाहन की निविदा भरे जाने पर निविदादाता की समस्त मार्गों की निविदाये निरस्त कर अर्नेस्ट मनी जब्त कर दी जायेगी।
- 24-** निविदा स्वीकार होने पर निविदादाता को वाहन के निरीक्षण हेतु सूचना मिलने पर निर्धारित तिथि को वाहन सहित जसपुर क्षेत्र के लिए दुग्ध अवशीतन केन्द्र बाजपुर एवं गैंडीखाता क्षेत्र के लिए वाहन को दुग्ध अवशीतन केन्द्र गैंडीखाता, हरिद्वार में उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 25-** निविदा फार्म में ओवर राईटिंग मान्य नहीं होगी। त्रुटि हो जाने पर ओवर राईटिंग न कर कटिंग करते हुए पुनः स्पष्ट रूप से अंकित कर हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा।
- 26-** निविदा स्वीकार होने के उपरान्त वाहन के रूट की दूरी बढ़ाई या घटाई जा सकती है, जिसमें निविदादाता को कोई आपत्ति नहीं होगी।
- 27-** परिवहनकर्ता द्वारा अपने स्टाफ (चालक/परिचालक) का ई0पी0एफ0 नियमानुसार ई0पी0एफ0 कार्यालय मे जमा कराना अनिवार्य होगा। जिसका कोई भी उत्तरदायित्व संस्था का नहीं होगा।
- 28-** चालक/परिचालक की व्यवस्था परिवहनकर्ता को स्वयं करनी होगी। चालक का नाम, पता तथा डी0एल0 की छाया प्रति कार्यादेश प्राप्त करते समय संस्था को उपलब्ध करानी होगी। चालक के बदलने पर सूचना कार्यालय को देनी होगी। वाहन के समस्त रख रखाव की जिम्मेदारी परिवहनकर्ता की होगी।
- 29-** सरकार द्वारा वाहनों पर लगाये जाने वाले समस्त कर आदि का भुगतान परिवहनकर्ता द्वारा स्वयं किया जायेगा इसके लिये संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
- 30-** उपार्जन मार्गों पर लगने वाले कर जैसे पथकर, सेतुकर आदि का भुगतान परिवहनकर्ता द्वारा किया जायेगा।
- 31-** निविदा स्वीकार होने पर **उत्तराखण्ड को-ऑरेटिव डेरी फ़ैडरेशन लि0**, मंगल पड़ाव, हल्द्वानी, नैनीताल की नाममात्र की सदस्यता लेनी होगी।
- 32-** निविदा फार्म के साथ मार्गवार दी गयी दूरी अनुमानित है, कार्यादेश निर्गत करने के उपरान्त संस्था के प्रतिनिधि द्वारा परिवहनकर्ता के साथ मार्ग की दूरी का सत्यापन किया जायेगा, उसी के अनुसार भुगतान देय होगा।
- 33-** अनुबन्ध होने पर अनुबन्ध की अवधि प्रत्येक दशा मे पूर्ण करनी होगी। अनुबन्ध अवधि मे परिवहनकर्ता द्वारा वाहन हटाये जाने पर जमा जमानत राशि जब्त कर दी जायेगी।
- 34-** निविदा प्रपत्र के साथ निविदा से सम्बन्धित सभी आवश्यक निर्देशों एवं मुख्य शर्तों को भलीभाँति पढकर हस्ताक्षर करने के उपरान्त निविदा फार्म मे संलग्न करना अनिवार्य है।
- 35-** स्वीकृत निविदादाता को सम्बन्धित मार्ग की दुग्ध समितियों से दुग्ध संग्रहण कर ससमय सम्बन्धित अवशीतन केन्द्र तक पहुंचाना होगा। वाहन में अच्छी गुणवत्ता का तिरपाल लगाना अनिवार्य होगा। वाहन मे तिरपाल न लगे होने की स्थिति मे वाहन के समय पर पहुंचने पर भी यदि दुग्ध समितियों का दूध खट्टा/फटने की स्थिति में जिम्मेदारी परिवहनकर्ता की होगी तथा उसके दुग्ध ढुलान बिलो से खट्टे/फटे हुए दूध की धनराशि वसूली संबंधित परिवहनकर्ता से कर ली जायेगी।
- 36-** निविदादाताओं को निविदा स्वीकृति होने के उपरान्त 15 दिवस के भीतर बैंक खाता न0 उपलब्ध करना अनिवार्य होगा, किसी भी निविदादाता को नगद भुगतान देय नहीं होगा।

37--: यह कि संस्था मे कार्यरत कर्मचारी अथवा उसके आश्रित की निविदा स्वीकृत नही की जायेगी । जिसे उत्तराखण्ड राज्य कर्मचारियों की आचरण नियमावली, 2002 के नियम संख्या 2(ग) के अनुसार किसी कर्मचारी के "परिवार का सदस्य" को निम्नवत परिभाषित किया गया है--

नियम संख्या-2 (ग):-

(1) ऐसे सरकारी कर्मचारी की पत्नी, उसका लड़का, सौतेला लड़का, अविवाहित लड़की या अविवाहित सौतेली लड़की चाहे वह उनके साथ रहता/रहती हो अथवा नही, और किसी महिला सरकारी कर्मचारी के सम्बन्ध में, उसके साथ रहने वाला तथा उस पर आश्रित उसका पति,

(2) कोई भी अन्य व्यक्ति, जो रक्त संबंध से या विवाह द्वारा उक्त सरकारी कर्मचारी या संबंधी हो या ऐसे सरकारी की पत्नी का या उसके पति का सम्बन्धी हो और जो ऐसे कर्मचारी पर पूर्णतः आश्रित हो,

किन्तु इसके अन्तर्गत ऐसी पत्नी या पति सम्मिलित नही होगी/सम्मिलित नही होगा, जो सरकारी कर्मचारी से विधितः पृथक की गई हो/पृथक किया गया हो या ऐसा लड़का, सौतेला लड़का अविवाहित सौतेली लड़की सम्मिलित नही होगा, या/सम्मिलित नही होगी जो आगे के लिये, किसी भी प्रकार उस पर आश्रित नही है या जिसकी अभिरक्षा (custody) से सरकारी कर्मचारी को, विधि द्वारा वंचित कर दिया गया हो।

38--: निविदादाताओं को वाहन संचालन हेतु समस्त वैधानिक कार्यवाहियों स्वयं पूर्ण करनी होगी।

39--: निविदा में टैक्निकल बिड की शर्तों को पूर्ण करने के उपरान्त ही फाइनेन्सियल बिड का लिफाफा खोला जायेगा। यह कि निविदा टू-बिड सिस्टम के आधार पर सम्पन्न की जायेगी, निविदादाता को एक लिफाफे में तकनीकी बिड रखी जानी है उसमें तकनीकी बिड लिखा जाये तथा दूसरे लिफाफे में वित्तीय बिड रखकर उस लिफाफे में ऊपर वित्तीय बिड लिखा जाये एवं दोनों लिफाफों को अलग-अलग बन्द कर एक बड़े लिफाफे में पुनः बन्द कर निविदा देनी होगी।

40--: एक या समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड को-ऑरेटिव डेरी फ़ैडरेशन के पास सुरक्षित होगा।

41--: किसी भी प्रकार के विवाद में निबंधक, दुग्ध सहकारी समितियाँ डेरी विकास विभाग उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल) का निर्णय मान्य होगा।

42--: एक या समस्त निविदाओं को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार बिना कारण बताये संस्था के प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड को-ऑरेटिव डेरी फ़ैडरेशन मंगल पड़ाव, हल्द्वानी, नैनीताल के पास सुरक्षित होगा।

43--: यह कि सूक्ष्म, लघु एवं माध्यम उद्योग (एमएसएमई) में रजिस्टर्ड फर्मों को उत्तराखण्ड शासन की क्रय वरीयता नीति 2019-शासनादेश सं०1542/VII-3-19/143-उद्योग 2/2003 दिनांक 20 अगस्त 2019 की शर्तों के अनुरूप निविदा में छूट प्रदान की जायेगी। पंजीकृत फर्म/निविदादाता को तत्संबंधी अभिलेख उपलब्ध कराना होगा।

44--: जसपुर क्षेत्र में दुग्ध परिवहन कार्यों के लिए वाहन छोटा हाथी/समकक्ष वाहन को प्रति 13 किलोमीटर पर 1.0 ली० डीजल देय होगा। उक्त के अतिरिक्त (दिहाड़ी के अलावा) किसी भी प्रकार का मोविल ऑयल/टोल टैक्स/लोडिंग-अनलोडिंग आदि देय नहीं होगा एवं गैंडी खत्ता क्षेत्र में दुग्ध परिवहन कार्यों के लिए आवश्यक वाहन छोटा हाथी/समकक्ष को दर रूपया/किलोमीटर के हिसाब से देय होगा। उक्त के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का अन्य देयक देय नहीं होगा।

नोट- उपरोक्तानुसार क्रम संख्या 01 से 44 तक की शर्तें पढकर एवं समझकर सहमत होने पर हस्ताक्षर करने के उपरान्त निविदा प्रपत्र के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न करें।

ह० निविदादाता

पता

मो०न०



निविदा फार्म- उपार्जन अनुभाग (वित्तीय बिड)-02
लालढांग/गैंडीखाता क्षेत्र हरिद्वार



फार्म संख्या-

उत्तराखण्ड सहकारी डेरी फ़ैडरेशन लि0, मंगल पड़ाव, हल्द्वानी, नैनीताल.....

(निविदा फार्म के समस्त क्रमांको की सूचनाओं को स्पष्ट व साफ-साफ अंकित करें।)

- 1- मार्ग का नाम - :
- 2- निविदादाता का नाम - :
- 3- पिता/पति का नाम - :
- 4- स्थाई पता (अनिवार्य)- :
- 5- वाहन के किराये की दरें - :
 - 1- रूपया प्रति किलोमीटर अंकों मेंरूपया प्रति किमी
शब्दों मेंरूपया प्रति किमी

घोषणा

निविदा फार्म के साथ संलग्न आवश्यक निर्देश एवं शर्तों को मैंने अच्छी तरह पढ एवं समझ लिया है। मैं निविदा मे उल्लेखित शर्तों के अधीन उत्तराखण्ड सहकारी डेरी फ़ैडरेशन लि0, मंगल पड़ाव, हल्द्वानी, नैनीताल मे अपना वाहन लगा कर कार्य करने के लिये सहमत हूँ ।

उक्त प्रतिष्ठियाँ मैंने स्वयं भरी है/भरवाई है और मेरी जानकारी मे पूर्ण रूप से सही है। यदि कोई भी सूचना/सूचनाये गलत पायी जाये, तो संस्था को पूर्ण अधिकार होगा कि वह उक्त के सम्बन्ध मे हुये निविदा /अनुबन्ध को बिना नोटिस दिये निरस्त कर दें। अर्नेस्ट मनी के रूप मे जमा की गयी धनराशि रू0 की रसीद संख्या/ड्राफ्ट संख्या दिनांक.....
..इस निविदा फार्म के साथ संलग्न है।

नोट- वाहन के प्रपत्रो के साथ किसी प्रकार की छेडछाड, गलत सूचना सिद्ध होने पर संस्था द्वारा निविदा को निरस्त कर अर्नेस्ट मनी जब्त करते हुए 03 वर्षो हेतु संस्था की किसी भी प्रकार की निविदा/कोटेशन मे प्रतिभाग करने से प्रतिबन्धित कर दिया जायेगा।

दिनांक.....

ह0 निविदादाता

पूरा नाम

पता:-